वित्तीय दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम : संविदागत स्टाफ नर्स एवं ए०एन०एम० (आर०) का मानदेय भुगतान

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – ANMs, Staff Nurses, Supervisory Nurses (Salary of Contractual ANM/Contractual SN)

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– A.8.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

राज्य के कार्यरत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति केन्द्र कुल 2 स्टाफ नर्स राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाना है। राज्य के सभी जिलों में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति भी की गयी है तथा शेष रिक्त पदों पर जिलों द्वारा शीघ्र नियुक्ति की जानी है।

इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य में अनुबंध के आधार पर प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर एक–एक ए०एन०एम० (आर०) का नियोजन भी किया गया है। ए०एन०एम० (आर०) का चयन जिले के कुल स्वीकृत पद के अनुसार किया जाना है।

इकाई राशि –

Sl.No.	Name of Post	No. of Post	Salary (PM)	Amount (Per Annum)
1.	Staff Nurse (Grade-“A”)	1	20000	240000
2.	ANM (R)	1	11500	138000
	Total			**378000**

वित्तीय दिशा–निर्देश –

(1) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 194 (6) दिनांक 03/03/2011 के आलोक में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नियोजित स्टाफ नर्सों को प्रतिमाह 20,000/– रू0 की दर से मानदेय का भुगतान संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को यह राशि उनके आवश्यकता के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवंटित की जाएगी।

(2) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 194 (6) दिनांक 03/03/2011 के आलोक में प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त ए०एन०एम० को प्रतिमाह 11,500/– रू0 की दर से मानदेय का भुगतान किया जाना है। पिछले वित्तीय वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जिलों के स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर नियोजित ए०एन०एम० (आर०) के मानदेय का भुगतान 50–50 प्रतिशत के अनुपात में जिलावार वरीयता सूची के आधार पर किये जाने का प्रावधान किया गया था। इस वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिले के स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर कार्यरत सभी संविदागत ए०एन०एम० (ANM-R एवं ANM-C) के मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले को आवंटित किये जा रहे राशि से किया जाएगा। इस राशि का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को किया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के सहयोग से समयानुसार सभी संविदागत नियोजित ए०एन०एम० को मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

विशेष निर्देश –

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विशेष अनुरोध पर चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य के सभी जिलों में संविदागत स्टाफ नर्स एवं ए०एन०एम० के कुल स्वीकृत पद के विरूद्ध राशि उपलब्ध करायी गयी है। अभी जिलों को उक्त पदों पर कार्यरत बलों के लिए ही राशि विमुक्त की जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि जिले में उक्त दोनों पदों पर शेष बची रिक्तियों को यथाशीघ्र भरते हुए तथा व्यय प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराते हुए सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाय ताकि अतिरिक्त नियुक्तियों के विरूद्ध राशि विमुक्त किया जा सके। कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि जिले में उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध कोई भी रिक्ति शेष न रहे।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम – **जय प्रकाश सिंह (बि०प्र०से०)**
वरीय उप–समाहर्त्ता–सह–प्रभारी, मानव संसाधन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर –कार्यालय –7488270145/मोबाईल – 9470003012

SKumar
20/07/2011